संख्या— / II—2020—03(70)/2015 ~~2019~~

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग—02 **देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2020**

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे वि0ख0 में 2.50 कि0मी0 लम्बी बरंगल नहर की निर्माणाधीन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1664/प्र0अ0/बजट/बी—1 (समान्य)कैम्प, दिनांक 11.09.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजना के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 में निम्न विवरणानुसार रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	वर्ष 2018—19 तक कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2019—20 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे वि0ख0 में 2.50 कि0मी0 लम्बी बरंगल नहर के निर्माण की योजना।	48.64	28.64	20.00
	कुल योग	**48.64**	**28.64**	**20.00**

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(iii) नराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यो में ही किस्तों में किया जायेगा।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(vi) जंहा आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमश............02

(vii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(viii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(ix) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(xi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 254/3 (150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाओं–051–निर्माण–02–अन्य रखरखाव व्यय–01–राज्य सैक्टर से पोषित नहरों का निर्माण (4700068000201 से स्थानान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/ XXVIII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गए दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किए जा रहें है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या–103 (1)/ II–2020–03(70)/2015, तददिनांकित

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।